4.64 करोड़ के घोटाले पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, कोर्ट ने जारी किए नोटिस

जमीन और फंड में वित्तीय अनियमितता के मामले में पांच पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ विशेष अदालत में चालान पेश

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर की एक गृह निर्माण संस्था में 4.64 करोड़ रुपए के कथित वित्तीय घोटाले और जमीन से जुड़े अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष न्यायालय में चालान पेश किया है. अदालत ने चालान पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

मामला एमजी रोड थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें

संस्था के तत्कालीन पदाधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता, धोखाधड़ी और संस्था की संपत्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे. इसी प्रकरण के आधार पर ईडी ने धनशोधन के पहलुओं की जांच शुरू की थी. जांच एजेंसी के अनुसार संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशक मंडल के कुछ सदस्यों ने सुनियोजित तरीके से संस्था के फंड से खरीदी गई जमीनों को विभिन्न पक्षों को बेच दिया. आरोप है कि बिक्री से प्राप्त राशि का पूरा हिसाब संस्था के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया और फंड में गबन किया.

जांच में यह भी सामने आया कि संस्था के सदस्यों को वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रखा गया तथा जमीन बिक्री से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट कर दिए गए, ताकि वित्तीय लेन देन का खुलासा न हो सके. ईडी का दावा है कि घोटाले से अर्जित राशि को विभिन्न माध्यमों से खपाकर उससे अचल संपत्तियां खरीदी गईं. रकम को वैध दिखाने के लिए कई वित्तीय लेन देन भी किए, जिन्हें जांच एजेंसी ने धनशोधन का हिस्सा माना है. ईडी ने इस मामले में श्रीकांत घंटे, सुभाष चंद्र दुबे, राकेश जैन, अंतिम जोशी और आनंद शाह के खिलाफ चालान पेश किया है.

संपत्ति कर चुके हैं कुर्क

इससे पहले एजेंसी पीएमएलए के तहत करीब 64 लाख रुपए मूल्य की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क भी कर चुकी है. ईडी के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी कार्रवाई की संभावना है.

फर्जी बैंक खाते से दो करोड़ के लेनदेन का आरोप कोर्ट में साबित नहीं

इंदौर. फर्जी बैंक खाता खुलवाकर उसमें करीब दो करोड़ रुपए के काले धन का लेनदेन करने के मामले में पुलिस अदालत में आरोप साबित नहीं कर सकी. साक्ष्यों के अभाव में अपर सत्र न्यायाधीश अरुण श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी मयूर गवलानी को दोषमुक्त कर दिया.

मामले में 19 जुलाई 2018 को शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता जितेंद्र ने पुलिस को बताया था कि वह राऊ स्थित आरोपी की रेपर प्रिंटिंग फैक्ट्री में

साक्ष्यों के अभाव में आरोपी मयूर गवलानी दोषमुक्त

मशीन ऑपरेटर था. नौकरी पर रखने के दौरान आरोपी ने उसके पहचान संबंधी दस्तावेज अपने पास रख लिए थे. आरोप था कि इन्हीं दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उसके नाम से एक्सिस बैंक की इंडस्ट्रियल एरिया शाखा में फर्जी खाता खुलवाया गया और उसमें करीब दो करोड़ रुपये का लेनदेन किया. मामले की जानकारी तब हुई, जब खाते में भारी ट्रांजेक्शन के चलते बैंक अधिकारी पैन कार्ड लेने उसके पास पहुंचे.

पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया, लेकिन सुनवाई के दौरान अभियोजन केवल इतना ही साबित कर सका कि संबंधित बैंक खाता फरियादी ने स्वयं नहीं खुलवाया था. यह प्रमाणित नहीं हो सका कि खाता आरोपी ने कूटरचित दस्तावेजों या फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर खुलवाया था. साथ ही खाते में हुए लेनदेन से आरोपी की संलिप्तता भी सिद्ध नहीं हो सकी. पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया.

10 करोड़ की लाल चंदन तस्करी के आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं

आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

इंदौर. करीब 10 करोड़ रुपए की लाल चंदन की तस्करी के चर्चित मामले में फरार आरोपी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने हरियाणा निवासी आरोपी शिवकुमार रोहतास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी के खिलाफ पहले से स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी है.

मामला वर्ष 2019 में धार जिले के खलघाट क्षेत्र का है. स्टेट टाइगर फोर्स और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में धामनोद फॉरेस्ट रेंज से गुजर रहे एक ट्रक से 15,530.55 किलोग्राम (करीब 15.5 टन) लाल चंदन जब्त किया था. बरामद लकड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई थी.

तस्करों ने चेकिंग से बचने के लिए लाल चंदन को ट्रक में साबूदाना, सफेद पाउडर और नींबू की बोरियों के नीचे छिपाकर रखा था. जांच में सामने आया था कि लाल चंदन की खेप महाराष्ट्र से लोड होकर मध्यप्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ले जाई जा रही थी, जहां से इसे दुबई तस्करी के लिए भेजने की तैयारी थी.

सीबीआई को सौंपी गई थी जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. सीबीआई की जांच में ट्रक शिवकुमार रोहतास के नाम पर होना सामने आया. एजेंसी ने अदालत में बताया कि आरोपी के अन्य आरोपियों से संपर्क और तस्करी में संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं. मामले में ईश्वर, राजकुमार समेत कुल छह आरोपी हैं, जबकि शिवकुमार अब तक फरार है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया.

एटीएम में लगाई सेंध : कैश जमा करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने 40 लाख उड़ाए

ऑनलाइन गेमिंग और आईपीएल सट्टे में गंवाई रकम

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में एटीएम में नकदी जमा करने वाली कंपनी के दो कर्मचारियों ने भरोसे का फायदा उठाकर करीब 40 लाख रुपए का गबन कर लिया. दोनों आरोपी पिछले छह महीने से एटीएम में जमा होने वाली रकम में से धीरे धीरे नकदी निकालते रहे और पूरी रकम ऑनलाइन गेमिंग व आईपीएल सट्टे में हार गए. मामले का खुलासा होने पर लसूडिया पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के कब्जे से अब तक केवल दो

लाख रुपए ही बरामद हो सके हैं.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक और दीपक के रूप में हुई है. दोनों एक निजी कंपनी में कार्यरत थे, जो शहर के एटीएम में नकदी जमा करने का काम करती है. जांच में सामने आया कि दोनों पिछले करीब छह माह से कभी एक लाख तो कभी डेढ़ लाख रुपए निकालकर गबन करते रहे. रकम कम निकालने के कारण लंबे समय तक किसी को इसकी भनक नहीं लगी. कंपनी के आंतरिक मिलान के दौरान कैश में गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद मामला लसूडिया थाने पहुंचा. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि गबन की पूरी रकम ऑनलाइन गेमिंग और आईपीएल सट्टे में लगा दी, जहां वे पैसा हार गए. पुलिस ने उनके पास से दो लाख रुपए बरामद किए हैं. अब यह पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने किन किन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से रकम लगाई. साथ ही पैसों के ट्रांजेक्शन की बैंक ट्रैकिंग की जा रही है और आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है.

मामले की विस्तृत जांच : एसीपी

मामले में एसीपी पराग सैनी ने बताया 40 लाख रुपए के गबन के मामले में दो को गिरफ्तार किया है, आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि आरोपियों ने अधिकांश रकम ऑनलाइन गेमिंग और आईपीएल सट्टे में गंवा दी, मामले की विस्तृत पूछताछ कर जांच की जा रही है.

एक नजर में

जाम गेट पुलिस चौकी पर किया पौधरोपण

महू. पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जाम गेट पुलिस चौकी परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर एसडीओपी ललित सिंह सिकरवार और बड़गोंदा थाना प्रभारी महेंद्र सिंह मकाशे ने संयुक्त रूप से विभिन्न प्रजातियों के छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया. उल्लेखनीय है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र में पहले भी कई बार बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जा चुका है. अधिकारियों की खासियत यह है कि वे केवल पौधे लगाते ही नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और सिंचाई की व्यवस्था कर स्वयं उनकी नियमित देखरेख भी करते हैं. इस दौरान एसडीओपी ललित सिंह सिकरवार ने कहा कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में पौधे अवश्य लगाने चाहिए. थाना प्रभारी महेंद्र सिंह मकाशे ने स्टाफ और स्थानीय नागरिकों से रोपे गए पौधों की देखभाल करने का संकल्प दिलाया.

जेल काटकर आए हैं, अब क्या कर लेगा, कहकर किया हमला

इंदौर. चंदननगर थाना क्षेत्र में दो बदमाशों ने एक व्यक्ति के साथ गाली गलौज कर मारपीट की और सिर में पत्थर मारकर घायल कर दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जागृति स्कूल के सामने शालीमार पैलेस, सिरपुर में रहने वाले राजू निगवाल ने चंदन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि देर रात अंबार नगर स्थित महाराज होटल के पास उसकी मुलाकात कपिल और बनवारी से हुई. दोनों ने कहा, हम जेल काटकर आ चुके हैं, अब तू क्या कर लेगा, इसके बाद गाली गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर दोनों ने घूंसे-थप्पड़ों से मारपीट की. इसी दौरान कपिल ने पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा, जिससे वह घायल हो गया और उसके सिर से खून बहने लगा. घटना के बाद चंदननगर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.

महिला को दी जान से मारने की धमकी

इंदौर. तिलकनगर थाना क्षेत्र में चोरी के मामले में नाम लेने की रंजिश को लेकर एक युवक ने महिला के घर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी. थाना प्रभारी मनीष लोधी ने बताया कि स्कीम नंबर 140 पिपलियाहाना में रहने वाली ज्योति जोठे ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी यश शर्मा उर्फ डॉन उसके घर पहुंचा. आरोपी ने महिला से अभद्र व्यवहार करते हुए कहा कि चोरी के मामले में उसका नाम क्यों लिया. इसके बाद उसने महिला और उसके पति को जान से खत्म करने की ध

जिलाबदर आरोपी प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमता मिला

इंदौर. जिलाबदर का आदेश होने के बावजूद प्रतिबंधित क्षेत्र में घूम रहे एक बदमाश को खजराना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ रासुका के तहत प्रकरण दर्ज किया है. थाना प्रभारी मनोज सेंधव ने बताया कि अमर उर्फ अमान उर्फ टिलटिल निवासी बाबा मनसब नगर, खजराना को जिलाबदर अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने के आदेश दिए गए थे. पुलिस को वह बाबा मनसब नगर क्षेत्र में घूमता मिला. पुलिस ने मौके पर उसे पकड़कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया, आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी

इंदौर. किशनगंज थाना क्षेत्र के महूगांव में अज्ञात बदमाशों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए ताला तोड़कर घर में रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर लिए. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, शांति नगर महूगांव में रहने वाले 80 वर्षीय दशरथ कौशल ने शिकायत दर्ज कराई कि गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह के बीच अज्ञात बदमाश उनके मकान का मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए. बदमाशों ने अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

दो अलग-अलग सड़क हादसों में महिला समेत दो की मौत

कहीं ऑटो पलटा तो कहीं पेड़ गिरे

नव भारत न्यूज

इंदौर. शुक्रवार शाम से शुरु हुई बारिश ने एक बार फिर शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. बारिश के बीच अलग-अलग इलाकों में हादसे हुए. कई जगह पेड़ गिरे, एमआर 10 ब्रिज के पास तेज रफ्तार ऑटो पलट गया, जबकि अलग-अलग हुए सड़क हादसों में एक घायल महिला समेत दो लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घटनाओं के चलते कई जगह यातायात भी प्रभावित रहा.

बारिश के दौरान कई जगह पेड़ अचानक भरभराकर सड़क पर गिरे. वहीं हादसे में तीन लोगों को मामूली चोटें आईं. उधर, हीरानगर थाना क्षेत्र के एमआर 10 ब्रिज के पास तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं, जबकि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस ने क्रेन की मदद से ऑटो हटाकर यातायात सामान्य कराया. इसी बीच शहर में अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में घायल एक महिला और एक अन्य व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई. दोनों मामलों में संबंधित थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. बारिश के साथ सामने आए इन घटनाक्रमों ने एक बार फिर शहर की आपदा तैयारियों, सड़क सुरक्षा और नगर निगम के रखरखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रेलवे स्टेशन की पार्किंग से बाइक चोरी

सड़क हादसे में मौत के मामले में केस दर्ज

इंदौर. जीआरपी इंदौर पुलिस ने बाइक चोरी और सड़क हादसे में मौत के मामले में दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए. वहीं, ट्रेन में मोबाइल और बैग चोरी के दो मामलों में जीरो पर अपराध दर्ज कर संबंधित जीआरपी थानों को जांच के लिए भेजा है.

एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले विकास गुप्ता ने पुलिस को बताया कि बुधवार 24 जून को वह रामगंज मंडी जाने के लिए अपनी हीरो होंडा पैशन बाइक प्लेटफॉर्म नंबर 4 की पार्किंग में रसीद कटवाकर खड़ी कर गए थे. वापस लौटने पर बाइक पार्किंग से गायब मिली. काफी तलाश के बाद भी सुराग नहीं लगने पर जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. दूसरे मामले में करीब 20 दिन पहले इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर अचेत मिले एक अज्ञात युवक की मौत का राज मर्ग जांच में खुला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर आई कई गंभीर चोटों से अधिक रक्तस्राव के कारण मौत होना सामने आया. जांच में पता चला कि युवक को एक स्कॉर्पियो वाहन ने टक्कर मारी थी. इसके बाद जीआरपी ने वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.

ट्रेन से यात्रा के दौरान एक यात्री का मोबाइल, दूसरे का बैग चोरी

इधर, ट्रेन में चोरी के दो मामलों में जीआरपी ने जीरो पर अपराध कायम किए. भोपाल इंदौर एक्सप्रेस के जनरल कोच में यात्रा कर रहे एक यात्री का चार्जिंग पर लगा 10 हजार रुपए का मोबाइल चोरी हो गया. घटना उज्जैन क्षेत्र की होने से मामला जीआरपी उज्जैन भेजा. वहीं, दिल्ली से इंदौर आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफर कर रहे बिहार निवासी यात्री का बैग चोरी हो गया. बैग में नकदी, ड्रिल मशीन, केमिकल और कपड़े सहित करीब 11,500 रुपए का सामान रखा था. घटना शामगढ़ क्षेत्र में होने से जीरो पर प्रकरण दर्ज कर डायरी जीआरपी शामगढ़ को भेज दी गई.

देर से घर लौटने पर विवाद, पत्नी-बेटी और साले-साली ने पीटा

इंदौर. परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के नंदा नगर में देर से घर लौटने की बात को लेकर हुए पारिवारिक विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया. पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर पत्नी, बेटी और साले-साली के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. नंदा नगर में रहने वाले जितेंद्र शुक्ला ने शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी शिखा और बेटी श्रेयांशी काम से घर लौटीं. दोनों के देर से आने का कारण पूछने पर विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि पत्नी और बेटी ने गाली गलौज की तथा घर पर मौजूद साले राहुल तिवारी और उसकी पत्नी अल्का तिवारी को भी बुला लिया. इसके बाद चारों ने मिलकर उसके साथ हाथ थप्पड़ों से मारपीट की. राहुल तिवारी ने लोहे के डंडे से भी हमला किया.

ऑटो चालकों, कुलियों और वेंडरों को किया साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक

महू रेलवे स्टेशन पर चलाया सेफ क्लिक 2.0 अभियान

महू. साइबर अपराधों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए शनिवार को महू रेलवे स्टेशन पर सेफ क्लिक 2.0 साइबर क्राइम जागरूकता अभियान चलाया गया. इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन, विशेषकर डिजिटल भुगतान का उपयोग करने वाले छोटे व्यवसायियों को ऑनलाइन ठगी से सुरक्षित रखना और उनमें साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा.

अभियान के तहत स्टेशन परिसर और आसपास सक्रिय क्यूआर कोड धारक ऑटो रिक्शा

चालकों, कुलियों एवं स्थानीय वेंडरों को साइबर धोखाधड़ी से बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं. अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को इन दिनों तेजी से फैल रहे डिजिटल अरेस्ट, केवाईसी अपडेट के नाम पर होने वाले फ्रॉड और यूपीआई संबंधी ठगी के तरीकों से अवगत कराया.

गोपनीय जानकारी साझा न करने की सलाह

जागरूकता सत्र के दौरान पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के फोन कॉल या मैसेज के बहकावे में न आएं. किसी भी परिस्थिति में अपनी बैंकिंग जानकारी, एटीएम पिन या ओटीपी साझा न करें. अधिकारियों ने समझाया कि साइबर अपराधी हर दिन ठगी के नए-नए पैंतरे अपना रहे हैं, जिससे केवल सतर्कता और सावधानी से ही बचा जा सकता है.

ठगी होने पर तुरंत डॉयल करें 1930

अभियान में मौजूद लोगों को बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन वित्तीय ठगी का शिकार हो जाता है, तो उसे घबराने के बजाय तुरंत कदम उठाना चाहिए. पीड़ित व्यक्ति बिना समय गंवाए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. समय पर सूचना देने से ठगी गई राशि को बैंक खातों में ब्लॉक करने और कानूनी कार्रवाई करने में आसानी होती है.

रिडीम प्वाइंट का झांसा देकर महिला से 1.29 लाख की साइबर ठगी

इंदौर. किशनगंज थाना क्षेत्र में रिडीम प्वाइंट दिलाने का झांसा देकर एक महिला से 1.29 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

समर्थ पार्क कॉलोनी में रहने वाली अंजली राय ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें किसी अज्ञात आरोपी ने रिडीम प्वाइंट का लालच देकर उनसे अलग-अलग माध्यमों से 1.29 लाख रुपए की ठगी कर ली. थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि साइबर सेल से प्राप्त एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

चाकू लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार

इंदौर. तुकोगंज पुलिस ने देर रात एक युवक को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था. मुखबिर की सूचना पर जोहरी पैलेस के पीछे स्थित गली में घेराबंदी कर आर्यन उर्फ साहिल बच्चा, निवासी पंचम की फैल, को पकड़ा.. तलाशी लेने पर उसके कब्जे से चाकू बरामद हुआ. थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही है.

एक नजर में पार्किंग पर पिछले वर्ष भर में बने चालान से दोगुने से ज्यादा इस साल छह महीने में ही बन गए

पुलिस ने बनाए रिकॉर्ड चालान, फिर भी नहीं सुधर रही पार्किंग व्यवस्था

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में यातायात पुलिस की लगातार सख्ती के बावजूद सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग की समस्या जस की तस बनी हुई है. हालात यह हैं कि इस साल केवल छह महीने में ही नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर पिछले पूरे साल की तुलना में दोगुने से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं, लेकिन एमजी रोड, राजवाड़ा, पलासिया, विजय नगर, भंवरकुआं, गीताभवन और अन्य व्यस्त इलाकों में सड़क किनारे वाहन खड़े होने का सिलसिला नहीं थम रहा. इससे यातायात बाधित होने के साथ

दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है.

यातायात विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पार्किंग के खिलाफ भी पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के तहत वर्ष 2024 में 3,825, वर्ष 2025 में 11,011 और 25 जून 2026 तक 24,805 चालान किए जा चुके हैं. यानी छह महीने में ही पिछले पूरे साल के मुकाबले दोगुने से अधिक कार्रवाई हुई है. इसके बावजूद शहर की प्रमुख सड़कों पर नो पार्किंग में वाहन खड़े होने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है और वाहन चालक बाज नहीं आ रहे हैं.

सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना हेलमेट वाहन चालकों पर-

सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर हुई है. इस वर्ष 25 जून तक 1,59,852 हेलमेट चालान बनाए गए, जिनसे 4.79 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व शासन को मिला. तुलना करें तो 2024 में केवल 4,129 और 2025 में 97,860 हेलमेट चालान हुए थे. इसके अलावा तीन सवारी, ओवरलोडिंग, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने, बिना लाइसेंस और बिना बीमा वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की गई है. हालांकि सीट बेल्ट, प्रेशर हॉर्न और हूटर के मामलों में इस वर्ष अपेक्षाकृत कम चालान दर्ज हुए हैं.

चालान काटना मकसद नहीं, व्यवस्था सुधारना है

मामले में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात हिन्दू सिंह मुवेल का कहना है कि शहर में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. नो पार्किंग वाले स्थानों पर विशेष पेट्रोलिंग टीमें दिनभर निगरानी करती हैं और जहां भी वाहन खड़े मिलते हैं, तत्काल चालानी कार्रवाई की जाती है. हमारा उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों में यातायात अनुशासन विकसित करना है. नागरिक भी नियमों का पालन करें और निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें, तभी यातायात व्यवस्था बेहतर हो सकेगी.